फार्मास्युटकिल उद्योग को सुदृढ़ बनाना

प्रलिमि्स के लयि:

फार्मास्युटकिल उद्योग योजना का सुदृढ़ीकरण, सक्रयि फार्मास्युटकिल सामग्री।

मेन्स के लयि:

भारतीय दवा उद्योग, स्वास्थ्य, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप।

चर्चा में क्यों?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की रणनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए **'फार्मास्युटकिल उद्योग को सुदृढ़ बनाने'** (SPI) के लयि योजनाएँ शुरू की हैं।

प्रमुख बदिु

- **परचिय:**
  - यह योजना फार्मास्युटकिल क्षेत्र में MSME इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लयि क्रेडटि लकि्ड पूंजी और ब्याज़ सब्सडी के साथ-साथ **फार्मा क्लस्टर्स में रसिर्च सेंटर, टेस्टगि लैब** और **ETP (इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट)** सहति सामान्य सुवधिाओं के लयि 20 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करती है। .
  - MSME इकाई के पास पूंजीगत सब्सडी या इंटरेस्ट छूट में से कसिी एक को चुनने का वकिल्प होगा।
    - **SIDBI (लघु उद्योग वकिास बैंक ऑफ इंडया)** इस योजना को लागू करने के लयि परयिोजना प्रबंधन सलाहकार है।
- **घटक:**
  - **फार्मास्युटकिल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS):**
    - यह फार्मास्युटकिल क्षेत्र में **MSME** को उनकी तकनीक को उन्नत करने के लयि सदि्ध ट्रैक रकिॉर्ड के साथ सुवधि‍ा प्रदान करेगा।
    - इसमें तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के साथ अधकितम 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 10% की पूंजीगत सब्सडी या शेष राशि को कम करने पर 5% तक ब्याज़ में छूट (**SC/ST** के स्वामत्वि वाली इकाइयों के मामले में 6%) का प्रावधान है।
  - **सामान्य सुवधिाओं हेतु फार्मास्युटकिल उद्योग को सहायता (APICF):**
    - यह नरिंतर वकिास के लयि मौजूदा फार्मास्युटकिल क्लस्टर्स की क्षमता को मज़बूत करेगा।
    - यह स्वीकृत परयिोजना लागत का 70% या 20 करोड़ रुपए, (जो भी कम हो) तक की सहायता प्रदान करता है।
      - हमिलय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मामले में सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परयिोजना लागत का 90% (जो भी कम हो) होगा।
  - **फार्मास्युटकिल एंड मेडकिल डवािइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (PMPDS):**
    - इसमें भारतीय फार्मा और चकित्सिा उपकरण उद्योग के लयि महत्त्व के वषियों पर अध्ययन रपिोर्ट तैयार करना शामलि होगा।
    - इस योजना का उद्देश्य फार्मा और चकित्सिा उपकरण क्षेत्रों का डेटाबेस बनाना है।
- **उद्देश्य:**
  - गुणवत्ता और मूल्य दोनों में और अधकि प्रतस्पिर्द्धी बनाते हुए दवा उद्योग में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना तथा भारतीय फार्मा एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर वैश्वकि आपूर्ति शृंखला का हस्सिा बनाना है।

महत्त्व:

- यह मौजूदा बुनयिादी सुवधिाओं को मज़बूत करेगा और भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्वकि नेता बनाएगा।
- इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टर्स का सतत् वकिास भी सुनश्चिति होगा।
- यह योजना देश भर में फार्मा उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता एवं स्थरिता में सुधार

के लिये आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी।

- यह योजना निविश बढ़ाएगी, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी तथा उद्योग को भविष्य के उत्पादों और विचारों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।

फार्मा सेक्टर से संबंधित योजनाएँ:

- बल्क ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना:
  - सरकार का लक्ष्य देश में थोक दवाओं और उनके निर्माण लागत के लिये अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने हेतु राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में **3 मेगा बल्क ड्रग पार्क** विकसित करना है।
  - यह योजना दवाओं की निरंतर आपूर्ति के साथ-साथ नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी मदद करेगी।
- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना:
  - **पीएलआई योजना** का उद्देश्य देश में **क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मैटेरियल्स (KSMs)/ड्रग इंटरमीडिएट और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs)** के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत सरकार दवा के पारंपरिक ज्ञान को दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (250 शब्द) [2015]

स्रोत : पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/strengthening-pharmaceuticals-industry